FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट:–	बनाम	रेस्पोडेण्ट:–
रघुवीरसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास, अरटवाड़ा, तहसील शिवगंज जिला सिरोही		1. थानाधिकारी पुलिस थाना तखतगढ जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा :: रसद विविध 55/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2021/179
अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/7/21	प्रार्थी रघुवीरसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास, अरटवाड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही की और से उनके अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने इस प्रकरण में जब्तसुदा वाहन पिकप बोलेरो आरजे–24 जीए–3640 को सुपुर्दनामें एवं जमानत पर रीलीज कराने हेतु प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण पुलिस द्वारा प्रार्थी के उक्त वाहन को वास्ते वजह सबूत अपने कब्जे में ले रखा है वर्तमान में उक्त वाहन की आवश्यकता पुलिस को नहीं है तथा वाहन के अभाव में प्रार्थी को भारी परेशानी हो रहा है। क्योंकि उक्त वाहन ही प्रार्थी के आजीविका का साधन है। उक्त वाहन की पुलिस को अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है व वाहन खुल्ले में पड़ा है जिससे उसके रंग रोगान, टायर ट्यूब एवं मशीनरी के खराब होने की संभावना है। प्रार्थी प्रकरण के चलते उक्त वाहन का बेचाण हस्तान्तरण नहीं करेगा, न ही उक्त वाहन की भौतिक स्थिति में परिवर्तन ही करेगा तथा तलब करने पर उक्त वाहन अपने खर्चे पर हाजिर अदालत रखेगा। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा वाहन जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज कराने के आदेश प्रदान करावे। बहस सुनी गई जब्त सुदा वाहन संख्या आरजे 24 जीए 3640 का प्रार्थी रघुवीर सिंह स्वयं स्वामी है न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी सुपुर्दगीनामा एवं जमानत पेश करने के लिए सक्षम है प्रार्थी के वाहन से 2010 लीटर डिजल नो ड्रमों में जब्त किया है अतः उन सब की कुल राशि के अनुरूप प्रार्थी श्री रघुवीरसिंह पुत्र जब्बरसिंह निवासी अरटवाड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही अगर 200,000/–रूपये का जमानतनामा एवं वाहन को सुपुर्द करने हेतु नियमानुसार सुपुर्दगीनामा पेश करे तो वाहन किसी को हस्तान्तरण नहीं करने [illegible] के मूल स्वरूप में परिवर्तन नही करने तथा न्यायालय द्वारा [illegible] जाने पर पेश करने की शर्तों पर वाहन सुपुर्द करने हेतु ओदश जारी किए जावे। पत्रावली सुपुर्दगीनामा एवं जमान[illegible] का जमानतनामा पेश करने पर पुनः पेश हो। A जिला कलक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:19 IST
Reason: SelfAttested

28/7/21

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में सुपुर्दगीनामा एवं जमानत मय शपथ पत्र पेश कर दिए है इसलिए वाहन सुपुर्दगीनामे पर दिए जाने के आदेश दिए जाते है। SH.O - तखतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो कि इस प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ~~की किसी~~ संख्या RJ 24 GA 3640 की ~~किसी~~ अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो प्रार्थी श्री रघुवीर सिंह को वाहन सुपुर्द किया जाकर रसीद इस न्यायालय को प्रेषित की जावे। यह पत्रावली मूल 6A प्रकरण 54/2021 के संलग्न की जावे। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा भी पत्रावली संलग्न हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:19 IST
Reason: SelfAttested